प्रेस नोट

थाना सीपरी बाजार,झाँसी

दिनांक- 28.09.2025

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही
- **SP CITY** श्रीमती प्रीति सिंह के नेतृत्व में थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना में नामजद 25-25 हजार के 02 इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह कारतूस बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 28.09.2025 को थाना सीपरी बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के ग्राम आरी नहर पुलिया के पास से समय करीब 12.15 बजे मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 342/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में नामजद इनामिया अभियुक्त अनिल यादव पुत्र स्व0 धनीराम निवासी ग्राम भोजला थाना सीपरी बाजार,जनपद झाँसी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया तथा साथी इनामिया अभियुक्त कैलाश उर्फ पप्पू पुत्र स्वर्गीय हरिचरन निवासी ग्राम भोजला थाना सीपरी बाजार,झाँसी को पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठभेड़ में घायल अभियुक्त अनिल उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है । कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

गिरफ्तारी/बरामदगी एवं पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

संक्षिप्त विवरण –

उल्लेखनीय है दिनांक 08.09.2025 को थाना सीपरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भोजला निवासी अरविन्द यादव की हत्या उसी गांव के रहने वाले रिंकू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0- 342/2025 धारा

191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बीएनएस पंजीकृत कर घटना में शामिल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1-अनिल यादव पुत्र स्वर्गीय धनीराम निवासी ग्राम भोजला थाना सीपरी बाजार, झाँसी उम्र करीब 45 वर्ष

2-कैलाश उर्फ पप्पू पुत्र स्वर्गीय हरिचरन निवासी ग्राम भोजला थाना सीपरी बाजार, झांसी उम्र करीब 65 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास – अभियुक्त अनिल

1-मु0अ0सं0- 539/2015 धारा 147/148/149/307/452/504/506 भा0द०वि० व 7 सी.एल.ए

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार मय पुलिस टीम।